16-4-15 वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 13-5-15 को पेश हो।

13-5-15 पत्रावली पेश हुई/ ~~वकील वादी~~/ वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब दौरे पर है। ~~अवकाश पर है/का स्थानान्तरण हो गया है~~। अत: पत्रावली दि० 17-5-15 को पेश हो।

रीडर

17-5-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कायमी तनकी पत्रावली दि० 22-5-15 को पेश हो।

22-5-15 पत्रावली पेश [illegible] वकील उभयपक्ष [illegible] P.O. [illegible] दौरे पर है। [illegible] हो गया है। अत: पत्रावली [illegible] 3-7-15 कैम्प चूली को पेश हो।

रीडर

3870-74
27/6/15

3-7-15 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर चूली में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख० नं० 377/930 0.27, 384 0.30 ग्राम छावा का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार गंगापुर के नेतृत्व में पटवारी हल्का गिरदावर की तीन सदस्यीय टीम करे, वादी की भूमि को चिन्हित कर वादी को संभला दे। वादी की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा हो तो उसे हटाकर वादी को दिया जावे। प्रतिवादीगण इससे सहमत हैं। इसी आधार पर वादी अपना दावा वापिस ले रहा है। वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

श्यामसुन्दर सोनी

केशनामीणा

(पप्पू)

प्रस्तुत राजीनामे पर पक्षकारों को सुना गया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी की जावे। ~~प्रमाण~~ पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)	(मुनिदेव यादव)
एडवो०	
सदस्य	अध्यक्ष
लोक अदालत	लोक अदालत
गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी
	एवं
	उप जिला [illegible]

6

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) चूली

पीठासीन अधिकारी--: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

श्यामसुन्दर पुत्र जगनलाल, सुनार निवासी छावा तहसील गंगापुरसिटी ---वादी

बनाम

1. केशन्ती पत्नि छुट्टन, मीना निवासी आदर्श नगर गंगापुर सिटी
2. छुट्टनलाल पुत्र रामहेत, मीना निवासी आदर्श नगर गंगापुर सिटी
3. पप्पू पुत्र छुट्टनलाल, मीना निवासी आदर्श नगर गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ---प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली

मुकदमा नं. -- 57/2008

वादी की ओर से वादी श्यामसुन्दर व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी केशन्ती वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 3.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार भूमि ख0नं0 377/930 रकबा 27 एयर, 384 रकबा 30 एयर ग्राम छावा का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार गंगापुर, गिरदावर व पटवारी हलका द्वारा कराकर वादी की भूमि चिन्हित करने व भूमि वादी को संभलाने का आदेश दिया जाता है । साथ ही वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति भी दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई...)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— चूली

राजीनामा प्रपत्र

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक 3/7/15

कैम्प - चूली

श्यामसुन्दर बनाम केशन्ती देवी आदि

प्रकरण संख्या — 57/08 अन्तर्गत धारा 183, 188 R.T.Act

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री श्यामसुन्दर निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है। अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :—

खसरा नं. 337/930 रकबा 0.27 हैक्टेयर, 384 रकबा 0.30 हैक्टेयर ... गंगापुर सिटी का सीमाज्ञान नायब तहसीलदार ... गिरदावर की तीन सदस्यों की टीम करे तथा वादी की भूमि ... वादी को सम्भला दे। वादी की भूमि पर यदि प्रतिवादीगण का कब्जा ... वादी को दिला जावे प्रतिवादीगण इससे सहमत हैं इसी आधार पर ... वापस ले रहा है वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निरस्तारण करने की कृपा करें।

नि० अं०

वादी पक्ष 1. श्यामसुन्दर सोनी — प्रतिवादी पक्ष 1. ...

2. ... — 2. ...

3. ... — 3. ~~[illegible]~~

4. ... — 4. द० (छुटरनलाल)

हस्ताक्षर [signature] प्रधानाचार्य — पहचानकर्ता के हस्ताक्षर [signature] प्रधानाचार्य

नाम ... — (प्रतिवादी पक्ष) नाम ...

वादी श्यामसुन्दर एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी केशन्ती वगैरा

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया। अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) ~~(ह0 सदस्य)~~ (ह0 सदस्य)

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य.
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी